सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 557 राँची, मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

14 जून, 2019

विषयः झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन व भत्ता के प्रावधानों में परिवर्तन के संबंध में।

संख्या-06/उप॰ फो॰ (परिषद् नीतिगत) 06/2018 खा.आ.-1718, -- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-7 एवं 8 (।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 2954 दिनांक 04.06.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था। परन्तु इसके कतिपय प्रावधानों में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः विभागीय संकल्प संख्या 2954 दिनांक 04.06.2015 को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः-

1 झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन निम्नवत् होगाः-

(क) माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड। - अध्यक्ष।

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची - सदस्य सचिव।

(ग) राज्य सरकार के विभाग/स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि (जो परिषद् के पदेन सदस्य होंगे):-

i- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड।

ii- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।

iii- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड।

iv- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड।

v- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड।

(घ) <u>गैर सरकारी सदस्य</u>

उपभोक्ता हितो को संरक्षित करने योग्य प्रतिनिधि :- 5 (पाँच)

(ड.) व्यक्तिगत उपभोक्ता कार्यकर्ता (जो किसी भी उपभोक्ता संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो) :- 1 (एक)

2 जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन निम्नवत् होगाः-

(क) उपायुक्त - अध्यक्ष।

(ख) जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य सचिव।

(ग) (i) सिविल सर्जन - सदस्य।

(ii) उप विकास आयुक्त - सदस्य।

(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य।

(iv) जिला कृषि पदाधिकारी - सदस्य।

(v) जिला परिवहन पदाधिकारी - सदस्य।

(घ) <u>गैर सरकारी सदस्य</u>

उपभोक्ता हितो को संरक्षित करने योग्य प्रतिनिधि :- 5 (पाँच)

(ड.) व्यक्तिगत उपभोक्ता कार्यकर्ता (जो किसी भी उपभोक्ता संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो) :- 1 (एक)।

3 राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् से संबंधित शर्तें एवं नियम:-

(क) परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 3 (तीन) वर्षों का होगा। तीन वर्षों के उपरांत परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा। किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त रहने पर परिषद के कार्य या निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) (1)(घ) एवं (2)(घ) में उल्लेखित गैर सरकारी सदस्य या तो किसी उपभोक्ता संस्थान के प्रतिनिधि होगें या व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता कार्यकर्ता। विभागीय मंत्री द्वारा इनका मनोनयन किया जायेगा। इनके मनोनयन के लिए योग्यता निम्नवत् होगीः-

(i) सोसाईटी रजिस्टेªशन एक्ट 1860 या ऐसी ही एक्ट के तहत् कम-से-कम 5 वर्ष पहले से निबंधित हो।

(ii) संस्था को अंतिम तीन वर्षो में उपभोक्ता जागरूकता/कल्याण/हितो की रक्षा के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए।

(iii) संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं पता होना चाहिए।

(iv) संस्था का निम्न में से किसी एक क्षेत्र में कार्य किया हुआ होना चाहिएः-

(a) ग्रामीण उपभोक्ता को लक्षित जागरूकता कार्यक्रम,

(b) वस्तुएँ एवं सेवाओं का उपभोक्ताओं के हितों में परीक्षण,

(c) उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व,

(d) उपभोक्ता हित में किये गये कार्यो के द्वारा (पक्षापोषण) उपभोक्ता का सुदृढीकरण,

(e) उपभोक्ता हित में किये गये कार्य (पक्षापोषण), जो नीति परिवर्तन को प्रभावित करे,

(f) उपभोक्ता कानून एवं व्यवहार से संबंधित राष्ट्रीय या अंर्तराष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में पेश किया गया साहित्य/शोध पत्र/दस्तावेज।

(ग) (1)(घ)/(ड.) एवं (2)(घ)/(ड.) में उल्लेखित वैसे व्यक्तिगत प्रतिनिधि को भी विभागीय मंत्री द्वारा मनोनीत किया जायेगा, जो किसी संस्था से संबंधित नहीं भी हो, परन्तु निम्न योग्यता रखता होः-

(i) वह उपभोक्ता कल्याणकारी क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से ठोस गतिविधि में शामिल रहा हो।

(ii) उक्त गतिविधियों का समाज एवं उपभोक्ताओं पर प्रभाव परिलक्षित हो रहा हो।

(iii) उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले वैसे मुद्दों पर पक्षापोषण किया हो जो नीतिगत बदलाव में प्रभावकारी हो।

(iv) उपभोक्ता कानून एवं व्यवहार में पूरी तरह दक्ष हो।

(घ) क्रमांक (1) और (2) के (घ)/(ड.) से संबंधित सदस्य की सदस्यता के लिये अन्य शत्र्तेः-

(i) राज्य का नागरिक हो,

(ii) पागल या दिवालिया न हो,

(iii) उम्र 21 वर्ष से कम न हो,

(iv) किसी दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमें में सजायाफ्ता न हो,

(ड.) क्रमांक (1) और (2) के (घ)/(ड.) के सदस्यों का मनोनयन विभागीय मंत्री के द्वारा किया जायेगा। विभाग के द्वारा इन्हें निम्न प्रकार के आरोप साबित पाये जाने पर हटाया भी जा सकता हैः-

(i) राजनीतिक सम्बद्धता होने पर।

(ii) आपराधिक गतिविधि में आरोप पत्र दाखिल होने या दोष-सिद्ध होने पर।

(iii) अनुत्तरदायी और उपभोक्ता विमुख व्यवहार होने पर।

(iv) गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने पर।

(v) चिकित्सीय अक्षम होने पर।

(vi) उपभोक्ता कानून एवं मुद्दो की कम जानकारी होने पर।

(vii) परिषद् की दो लगातार बैठको में अनुपस्थित होने पर।

(च) परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेगें जब तक कि वे अपने उक्त पद पर है, जिसके कारण वे परिषद् के सदस्य मनोनीत किये गये है।

(छ) सदस्यों का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष के बाद पुनः मनोनीत किया जा सकता है। विभागीय मंत्री के द्वारा परिषद् को पुनर्गठित या रद्द किया जा सकता है। कोई भी गैर सरकारी सदस्य दो बार से अधिक मनोनीत नहीं हो सकता है।

(ज) सरकारी पदाधिकारी को छोड़कर अन्य संस्थान के सदस्य अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकेंगे।

(झ) प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में कम से कम 1 बार परिषद् की बैठक अवश्य होनी चाहिए। अध्यक्ष/सदस्य सचिव चाहें तो कभी भी आपातकालीन बैठक बुला सकते है।

(ञ) प्रत्येक बैठक से 15 दिन पूर्व सभी संबंधितों एवं सदस्यों को सूचना दी जायेगी, जिसका अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा अनुपालन कराया जायेगा।

(ट) बैठक का एजेन्डा अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव तैयार कर बैठक के समय पटल पर रखेंगे।

(ठ) बैठक में कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों का होना गणपूर्ति (कोरम) के लिए आवश्यक होगा।

4 राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकलाप:-

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में परिषद् कार्य करेंगी। परिषद् का कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं बढ़ावा देना होगा। यथा:-

(i) सामान एवं सेवाओं के वैसे विपणन जो जीवन और सम्पति के लिए खतरनाक है, के खिलाफ उपभोक्ताओं की रक्षा का अधिकार।

(ii) वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा का अधिकार की सूचना।

(iii) जहाँ तक संभव हो, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल एवं सेवाओं के प्रकार की जानकारी का अधिकार।

(iv) उपभोक्ता की हितों की उचित फोरमों में सुनवाई का अधिकार।

(v) अनुचित व्यापार व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार।

(vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

(ख) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् जिला उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से जनता की सहभागिता कर उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन को स्थापित करने के लिए कदम उठायेगा।

(ग) राज्य/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा प्रत्येक 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को समारोहपूर्वक मनाया जायेगा।

5 सरकारी कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें पदस्थापित पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से निकासी करेंगें।

6 (क) झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक प्रस्तुत यात्रा भत्ते के दावों का निष्पादन मात्र तय की गई दूरी व दैनिक भत्ते के अनुसार किया जायेगा। यह रू॰ 10/- (दस) प्रति किलोमीटर की दर से एवं प्रतिदिन रू॰ 500/- (पाँच सौ) की दर से किया जायेगा।

(ख) इसके उपरान्त की कार्यालय आदेश के आलोक में शामिल हुये बैठकों में प्रति बैठक रू॰ 5,000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र एकमुश्त की राशि झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों को बैठक में शामिल होने पर प्रदान किया जायेगा। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को कार्यालय आदेश के आलोक में शामिल हुए बैठकों में प्रति बैठक रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार) मात्र एकमुश्त की राशि उपस्थिति पत्रक के आधार पर संकल्प निर्गत की तिथि से प्रदान किया जायेगा। इसके लिए अभिश्रव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस एकमुश्त राशि का भुगतान बैठक की उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों को कार्यालय आदेश के आलोक में बैठक को छोड़कर अन्य की गई यात्राओं के लिए रू॰ 24 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा, साथ ही 12 घण्टे से अधिक समय व्यतित करने के उपरान्त रू॰ 500/- प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा। परन्तु ऐसी यात्राओं के पूर्व विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी एवं यात्रा के प्रमाण हेतु अभिश्रव संलग्न करने होंगे।

(घ) इन सब का भुगतान उपभोक्ता जागरूकता हेतु उपबंधित बजटीय राशि यथा कौशल विकास प्रचार-प्रसार के मद या उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मद में आवंटित राशि से किया जायेगा।

7 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस राज्य के होंगे, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होगें। इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य अपने संबंधित जिलों के परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

8 विभाग को आवश्यकतानुसार परिषद् भंग करने या नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9 उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की गठन से जनता में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

10 राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन से राज्य के कोष पर लगभग 25 (पच्चीस) लाख रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

11 राज्य/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के पश्चात् इसमें पद सृजन का प्रस्ताव नहीं दिया जायेगा।

12 इस संकल्प के निर्गत हाने की तिथि से पूर्व में गठित राज्य व जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् को, उनके कार्यकाल पूरा होने या इस संकल्प के आलोक में नये परिषद् के गठन होने पर स्वतः भंग माना जायेगा।

13 विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त इन परिषदों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा सकते है।

14. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-1138, दिनांक 09.04.2019 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 04.06.2019 की बैठक के मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 557 -- 50